न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
06 / 2021	2021 / 19	03.12.2021	22.07.2024

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्रीमती जुबैदा पत्नि दिलीप जाति मुसलमान निवासी बागलिया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमान शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लि. शाखा प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

:– प्रत्यर्थी / रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 14.09.2028 एवं 287 दिनांक 31.12.2018 (रहननामा) के संबंध में

उपस्थिति :–
1. श्री पैराकार सरकार
एक तरफा विरूद्व प्रत्यर्थी / विपक्षीगण

–: आदेश :– दिनांक :– 22.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 14.09.2028 एवं 287 दिनांक 31.12.2018 के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बसेरा तहसील प्रतापगढ़ के खाता संख्या 91 में दर्ज आराजी संख्या 27 रकबा 0.21 हैक्टर एवं आराजी संख्या 28 रकबा 0.80 हैक्टर तथा आराजी संख्या 29 रकबा 0.62 हैक्टर एवं आराजी संख्या 30 रकबा 0.66 हैक्टर कुल किता 04 सम्पूर्ण रकबा 2.29 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार खातेदार श्री मांगु, बालु, मदन पिता लालु मीणा निवासी टकरावद के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसे तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा (श्री शक्ति सिंह राजपूत) द्वारा दौराने सेग्रीगेशन (DILRMP योजना के तहत् ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड संधारण) कार्यवाही के समय पुर्ण लापरवाही व अनियमितता के साथ संबंधित गिरदावर एवं तहसीलदार के स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या –1 के नाम अंकन करा दिया। जबकि उक्त भूमियां अनुसूचित जाति संवर्ग के काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहते हुए ऐसी भूमियों का अन्तरण सामान्य जाति संवर्ग के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था।

साथ ही उक्त भूमियों के अवैधानिक अन्तरण के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 से बिना किसी समुचित जांच कार्यवाही किये और कराये ऋण प्राप्त करते हुए रहननोट भी रिकार्ड पर लगवा दिया। उक्त कार्यवाही के विषय में अपीलार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत परिवेदना की पालना में जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 29.09.2020 के द्वारा मामले की समुचित जांच हेतु गठीत कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक 10.03.2021 से समुचित तथ्य सामने आने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं जिससे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सूनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी पैरोकार सरकार द्वारा अपील मेंमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि राजकीय योजना DILRMP का फायदा उठाते हुए पटवारी द्वारा वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में पूर्व से दर्ज अनुसूचित जनजाति संवर्ग के खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड को ऑफ लाईन से ऑन लाईन अन्तरण करते वक्त सामान्य जाति संवर्ग के नाम दर्ज किया जाना तथा उक्त आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज सामान्य जाति संवर्ग के अवैध खातेदार द्वारा उक्त भूमियों पर अन्यथा ऋण लेते हुए उक्त भूमियों पर रहनदर्ज करा लिया जाना सर्वदा अनुचित रहा है। जिसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त होकर रिकार्ड पत्रावली उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी तत्काल स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होकर राजस्व रिकार्ड में सुधार अति–आवश्यक है।

बहस पर मनन किया गया तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 22.06.2021, शुद्धि पत्र आदेश दिनांक 12.09.2018, नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 14.09.2018 एवं नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 287 दिनांक 31.12.2018, राजस्थान कृषि अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के अधीन घोषणा पत्र दिनांक 24.12.2018, नवीन खाता संख्या 95 नकल जमाबंदी संवत 2074–77, तहसीलदार प्रतापगढ़ रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं जानकारी के राजकीय योजना DILRMP के तहत् वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही (ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड अपडेशन) के दौरान वास्तविक खातेदारों की भूमियों का अवास्तविक खातेदारों के नाम दर्ज कराया जाना प्रमाणित होता है तथा उक्त अवैधानिक अन्तरणों के आधार पर अवास्तविक खातेदारान द्वारा उक्त भूमियों पर ऋण लिया जाकर रहन दर्ज किया जाना भी अनुचित रहा है। प्रकरण में दर्शित रिकार्ड अनुसूचित जनजाति संवर्ग (मीणा जाति) के व्यक्ति की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सामान्य वर्ग (मुस्लमान) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना वैसे भी धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित् प्रावधानों के अनुसार विपरीत रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा बिना किसी समुचित जांच के उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 को जारी की गई ऋण राशि के समाशोधन हेतु सक्षम न्यायालय स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर विवादित नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 14.09.2018 एवं 287 दिनांक 31.12.2018 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों को सेग्रीगेशन से पूर्ववत् दर्ज खातेदारी रिकार्ड अनुसार असररेनों कार्यवाही के साथ नवीनतम् स्थिति में रिकार्ड पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ